



अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांचियकी निदेशालय
तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर

क्रमांक:- एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट-II/11493-525

दिनांक: 8.5.2012

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं
जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय:- जन्म/मृत्यु की एक वर्ष से अधिक विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों के संबंध में।

संदर्भ:- भारत के महाराजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली का पत्रांक 1/20/2002-जीवनांक (सी.आर.एस.) राज. दिनांक 5.11.2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक साल से अधिक पुरानी पंजीकृत जन्म/मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण किये जाने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम 7 के तहत जारी की जाने वाले आदेश में “बाद जाँच सही पाये जाने पर” “जाँच पश्चात्” इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रजिस्ट्रारों को कंडीशनल आर्डर/सर्त आदेश अथवा अनिर्णयात्मक आदेश देते हैं और शपथपत्र को ही घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन मानते हैं, जबकि घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन किये जाने हेतु ही घटना का वर्णन कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है कि “धारा 13(3) एवं इसके तहत संबंधित राज्य नियम में प्रावधान है कि जिस जन्म/मृत्यु की घटना का एक वर्ष के भीतर पंजीकरण नहीं हुआ है ऐसी घटनाओं का पंजीकरण, घटना की सत्यता के सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिये आदेश पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही किया जाएगा। यद्यपि इसमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं बताई गई है तथापि इस संबंध में शपथ पत्र मात्र एक दस्तावेज है, जिसके माध्यम से शपथकर्ता शपथपूर्वक कहता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है। शपथ पत्र संबंधित सूचना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन नहीं है। ऐसे जन्म/मृत्यु की घटना को पंजीकृत किए जाने का आदेश दिए जाने से पूर्व इससे संबंधित सूचनाओं की शुद्धता/सत्यता के सत्यापन हेतु मजिस्ट्रेट किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं या उसी जांच कर/करवा सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में है। इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए या जांच का क्या तरीका अपनाया जाए यह सब संबंधित मजिस्ट्रेट पर निर्भर करेगा।”।

अतः कृपया आपके जिले की समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट कर पाबन्द करावें कि एक साल से अधिक पुरानी जन्म/मृत्यु की घटना की शुद्धता/सत्यता का सत्यापन करने के पश्चात् ही संबंधित रजिस्ट्रार को घटना का रजिस्ट्रेशन कर लेने के लिये निर्णयक एवं स्पष्ट आदेश देवें न कि कंडीशनल/सर्त आदेश।

भवदीय

-ह0-

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांचियकी निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:- एफ 13/1/3/वीएस/डीईएस/2007/पार्ट-II/11526-568

दिनांक: 8.5.2012

प्रतिलिपि:- जिला सांचियकी अधिकारी, समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि सभी संबंधित को प्रति उपलब्ध करावें।

-ह0-

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक
आर्थिक एवं सांचियकी निदेशालय, जयपुर